

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-02, महाराजगंज।
उपस्थित: श्री अलख कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP3826
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-871/2026
UPMH010029432026



योगेश तिवारी उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व० मदन तिवारी
निवासी कैथवलिया, थाना-खोरावार, जनपद-गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,

.....अभियोगी

अपराध संख्या-138/2026
धारा-3(1)उ० प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी
क्रियाकलाप(नि०)अधि०
थाना-पुरन्दरपुर, जनपद-महाराजगंज

अधिवक्ता अभियुक्त- श्री अयोध्या सागर
अधिवक्ता राज्य-श्री सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी
विशेष अभियोजन अधिकारी, गैंगेस्टर एक्ट।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

31.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त योगेश तिवारी पुत्र स्व० मदन तिवारी की ओर से अपराध संख्या-138/2026 धारा-3(1) उ० प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना-पुरन्दरपुर, जनपद-महाराजगंज में प्रस्तुत किया गया है। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के पूर्व ही, इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है।

अतः आवेदक की ओर से बल न दिये जाने के कारण यह जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त योगेश तिवारी पुत्र स्व० मदन तिवारी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र-871/2026, अन्तर्गत धारा-3(1)उ० प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप(नि०) अधि०, थाना-पुरन्दरपुर, जिला- महाराजगंज बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

दिनांक:31.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर-यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-2,
महाराजगंज।